



2026: AHC: 28746-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **340/2026**

हरे राम निषादयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशुतोष गांगुली, प्रणब कुमार गांगुली

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जगदीश पाठक (स्थायी अधिवक्ता), पी.एच. वशिष्ठ, विवेक कुमार सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाती,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, कथित तौर पर जनहित में, याचिकाकर्ता द्वारा बुनियादी ढांचे की कमी के कारण प्रतिवादी संख्या 5 को दी गई मान्यता/संबद्धता पर सवाल उठाने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अपनी साख का खुलासा करते समय, याचिकाकर्ता ने स्वयं को एक सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति होने का दावा किया है और यह कि वह सिविल कोर्ट, जोनपुर में स्टेनोग्राफर/टाइपिस्ट के रूप में अपनी जीविका कमा रहा है।
3. याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज और याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए प्रत्यावेदन (अनुलग्नक-6) की प्रकृति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि स्टेनोग्राफर/टाइपिस्ट होने के नाते याचिकाकर्ता की उन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जानकारियों और सामग्रियों तक पहुँच नहीं हो सकती है, जो प्रत्यावेदन में प्रस्तुत/शामिल की गई हैं और प्रत्यक्ष रूप से, वह किसी और के इशारे पर कार्य कर रहा है।

4. केवल नाम उधार देकर जनहित याचिकाएं दायर करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
5. अतः, याचिका खारिज की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 10, 2026

मुकेश पाल/ज्योत्सना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"